PW/02/62/2026-III-2-Public Works Department

I/443556/2026

पत्रावली संख्याः 443556/ 42 (एम.एल.ए)2022/ 101889

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

5665
C&P)
3/11
प्रमुख अभियन्ता
लो0नि0वि0

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 29 अक्टूबर, 2026

विषयः टी.एस.पी. योजनान्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के कुल 03 पदैल मार्गो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग,अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसमें पैदल मार्ग की कुल लम्बाई 54.45 किमी. एवं लागत रू. 115.17 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू 115. 17 लाख (रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख सत्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु रू0 30.00 हजार (रू0 तीस हजार प्रत्येक कार्य हेतु दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

3439
SSOPF
3/11/26
मुख्य अभियन्ता (नियोजन)

EE(P-I)
03/11
SAO
5/11/26

क्र. स.	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	अनुमोदित लागत (धनराशि लाख में)		चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि
			विभागीय टी.ए.सी. द्वारा	शासन द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	टी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकासखंड मुनस्यारी में मदकोट बुई पातो (लंबाई 18.00 कि०मी०) व पित्थी पातो (लंबाई 2.00 कि०मी०) पैदल मार्ग की मरम्मत/सुधारीकरण का कार्य। ई.डी.पी.आर **(14745)**	20.000	46.31	46.31	0.10
2.	टी०एस०पी० के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकासखंड मुनस्यारी में मदकोट बौना तोमिक पैदल मार्ग की मरम्मत एवं सुधारीकरण का कार्य (लंबाई 22.450 किमी०) ।ई.डी.पी. आर **(14945)**	22.450	38.36	38.36	0.10
3.	टी०एस०पी० के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के	12.000	30.50	30.50	0.10

Scanned with OKEN Scanner

	विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकासखंड मुनस्यारी में सेरा बौना पैदल मार्ग की मरम्मत एवं सुधारीकरण का कार्य (लंबाई 12.00 किमी) ई.डी.पी.आर (15099)				
	योग	54.450	115.17	115.17	0.30

2. उपरोक्त स्वीकृतियॉ निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :–

1	विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
2	कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/149101/2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
3	कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य अन्य किसी योजना से आच्छादित न हो ताकि कार्य कर पुनरावृत्ति/दोहराव न हो।
4	सड़क मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से सम्बन्धित लोक निर्माण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–I/276791/2025 ई पत्रावली संख्या– 23430{15(सामान्य)/2022} दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाय।
5	उक्त तालिका में अंकित कार्य पर इस प्रतिबंध के अधीन सहमति प्रदान की जाती है कि कार्य कराने से पूर्व आगणन में मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित स्थलों के OGL/X-Section रिकार्ड कर लिये जाये तथा मक डिस्पोजल का भुगतान इन स्थलों के Final Level के आधार पर वास्तविक डिस्पोजल की मात्रा, आंकलित कर की जाए। इसके साथ ही कार्य कराने से पूर्व भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए।
6	स्वीकृत किये जा रहे विस्तृत आगणनों के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
7	ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
	प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से

Scanned with OKEN Scanner

8	सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
9	निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
10	कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
11	कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
12	आगणनों में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
13	यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
14	स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रॅक्यौरमेन्ट रूल्स– 2025 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
15	वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2026 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
16	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17	विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या– 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–30, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेण्ट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या– 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।
18	प्रशासकीय विभाग शासनादेश सं0 125 दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं 341 दिनांक 01 नवम्बर, 2012 एवं उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उपयोजना (नियोजन,

Scanned with OKEN Scanner

	धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम 2013 का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिससे अधिक से अधिक लाभ अनुसूचित जाति के परिवारों/व्यक्तियों को प्राप्त हो। अन्यथा सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी।
19	प्रशासकीय विभाग इस सम्बन्ध में एक प्रमाण–पत्र नियोजन प्रकोश्ठ को उपलब्ध करायेंगे कि उक्त कार्य जहां के लिये स्वीकृत किया गया है, वह कार्य उसी गांव व स्थान में हुआ है। जिसका अधिक से अधिक लाभ अनु0जाति के ही परिवारों/व्यक्तियों को ही हुआ है। इस सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करें।
20	प्रशासकीय विभाग शासनादेश सं0 125 दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं 341 दिनांक 01 नवम्बर, 2012 एवं उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम 2013 का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिससे अधिक से अधिक लाभ अनुसूचित जाति के परिवारों/व्यक्तियों को प्राप्त हो। अन्यथा सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रषासकीय विभाग की होगी।
21	प्रशासकीय विभाग इस सम्बन्ध में एक प्रमाण–पत्र नियोजन प्रकोश्ठ को उपलब्ध करायेंगे कि उक्त कार्य जहां के लिये स्वीकृत किया गया है, वह कार्य उसी गांव व स्थान में हुआ है। जिसका अधिक से अधिक लाभ अनु0जाति के ही परिवारों/व्यक्तियों को ही हुआ है। इस सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करें।
22	कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता, पैदल मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर प्रस्तावित पुर्ननिर्माण के कार्यो के औचित्य हेतु निरीक्षण टिप्पणी जारी करेगें तथा यदि स्थल पर क्षतिग्रस्त खडंजा/दीवारों के पत्थर उपलब्ध होगें तो तद्नुसार दरों से इसकी कटौती सुनिश्चित करवालेंगे।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं. –31 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य –02 नया कार्य –00 –53 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त अनुभाग–2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक– I/442188 /2026 दिनांक 21.10..2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 27-10-2026
11:09:15

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

Scanned with OKEN Scanner

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/443556/2026
अनुदान संख्या -031

आवंटन आई डी-S26100310032
आवंटन पत्र दिनांक-30-OCT-2026

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	02-नया निर्माण कार्य
	00--	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	2	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	60000	30000	0	90000
योग	60000	30000	0	90000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.30,000 (Rupees Thirty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

UTTARAKHAND

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, "नियोजन-।" उत्तराखण्ड़ देहरादून

(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक–1384 /20याता०(वित्तीय स्वीकृति)नियो०–1/2026,

दिनांक– 5 नवम्बर,2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, 3,4,5,1 ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 03 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ ।
3. अधिशासी अभियन्ता, PD खण्ड़, लोक निर्माण विभाग, डी.डी.हाट ।
4. आई०टी० सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner